विद्यालय में बाल अपराध की रोकथाम में शिक्षक की भूमिका

डॉ० आश्वती वर्मा

प्राचार्या, नजरूल हसन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सोनीहार, खगड़िया

सार-संक्षेप

जब किसी समस्या का हल खोजना हो तो पहले उस समस्या के कारणों पर नजर डालना जरूरी होता है। इसी तरह जब हम विद्यार्थीयों द्वारा किए गये अपराध के कारणों पर नजर डालते है तो हमे कई कारण जैसे नासमझी, भटकाव या प्रवृति के आलावा गरीबी, आर्थिक असमानता, धार्मिक उन्माद, व्यक्तित्व व मानसिक विकास, राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, सुधार की इच्छा-शक्ति मे कमी आदि नजर आती है। किसी अपराध के लिए इनमे से कोई एक कारण अकेला भी जिम्मेदार हो सकता है तथा कई कारणों मिले-जुले रूप मे भी। परन्तु फिर भी प्रत्येक कारण का अपना महत्व है। इनमें से प्रत्येक कारण को मद्देनजर रखते हुए अपराध नियंत्रण व अपराध मे लिप्त शिक्षार्थियों के सुधार के उपाय किए जाए तो बेहतर हल निकलेगे। यह सर्वमान्य है कि अपराध नियंत्रण तथा व्यवस्था स्थापित करना शासन-तंत्र का कार्य है। परंतु विद्यालय शिक्षा का बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे मानवता के मूल सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध हो। उनमे धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि सभी भेदभावों को दूर करने की, उनसे उपर उठने की क्षमता विकसित हो सके। अत: शिक्षक का खासतौर से यह दायित्व बनता है कि वे शिक्षार्थियो का विशेष ध्यान रखे एवं उन पर निगरानी रखे कि वे कहाँ जाते हैं एवं किससे मिलते है? यदि वे किसी अपराध में संलग्न पाए जाते है तो उसके जिम्मेदार मानसिक कारण एवं समाजिक कारण को पहचानकर बच्चों को उचित शिक्षा देकर छोट-छोटे बाल अपराधो से रोका जा सकता है एवं उनका भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

शब्द कुंजी: मनोचिकित्सक, अनुवांशिक, सामाजिक, राजनीतिक, अनैतिक व्यवहार, प्रवृति

Received : 21/10/2025 https://doi.org/10.5281/zenodo.18258475 Acceptance : 13/11/2025

आज समाज में चारो ओर बाल अपराध, सामाजिक एवं वैयक्तिक विघटन के कारण व्याप्त है। सामाजिक परिवर्तन और समाज में असमंजस्य के फलस्वरूप किशोरों का नटखटपन, समाज की मान्यताओं को भंग कर बाल-अपराध की संज्ञा में अपराध बन जाते है। समाज एवं कानून विरोधी कार्य एवं व्यवहार अपराध कहलाता है। इसके लिए समाज या राज्य या शासन दण्ड देता है। बार्नस एवं टीटर्स के अनुसार ''अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसके समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो तथा ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दण्डित करने और रोकथाम हेतु एक निश्चयात्मक सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो'' गिलिन और गिलिन के अनुसार ''समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक किशोर अपराधी वह है जिसके कार्य को समूह गिरा हुआ मानता है तथा जिसके कार्य समाज के लिए हानिकारक होने के कारण निषिद्ध होते हैं।'' डा. जेम्स एस. प्लान्ट के अनुसार ''बाल-अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से हैं जो एक आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्यो अथवा हिंसक व्यवहारो के रूप में प्रदर्शित करता है''। जापान में 14 से 20 वर्ष तक की आयु के वच्चे, स्वीडन में 9 से 21 वर्ष तक की आयु के अपराधी बच्चे बाल-अपराधी कहे जाते हैं। भारत में भारतीय दंड संहिता के अनुसार बाल-अपराध की अवधारणा है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया अपरा, अपराध नही है क्योंकि किशोर अबोध होता है जो अपराधी इरादे से अपराध नहीं कर सकता बाल अधि नियम, 1960 के अनुसार 7 से 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों तथा 7 से 18 वर्ष तक आयु की लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कानून विरोधी कृत्य बाल-अपराध है। 16 से 21 वर्ष तक के लड़कों व 18 से 21 वर्ष तक की लड़कियों द्वारा किए गए अपराधों को किशोर अपराध कहा जाता है।

बाल-अपराध'' कच्ची उम्र के बच्चों के भटकाव व नासमझी या प्रवृति के कारण होते है। इसके अन्तर्गत निन्दनीय बच्चो के साथ रहकर शराब पीना, बुरे चरित्र के व्यक्तियों की संगति में रहना, मार-पीट करना, देर रात तक सड़को पर घूमना आवारागर्दी कहा जाता है। **सीरिल बर्ट**

द्वारा बाल-अपराध वह है जो एक निश्चित आयु के के बच्चे द्वारा जुआ खेलना, जेब काटना, चोरी करना, तस्करी में सहायता, यौनिक दुराचरण, तोड़-फाड करना, अव्यवस्था फैलाना आदि। अपराधी गिरोह की संगति बाल-अपराध का मुख्य कारण है, इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं- पुलिस, न्यायालय और शिक्षण संस्थाओं की दोषपूर्ण व्यवस्था एवं टेलीविजन व चलचित्रों के प्रभाव। बाल-अपराध के वास्तविक कारण, परिवारिक कारण जैसे-टूटे परिवार, माता-पिता का बच्चों से दुर्व्यहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, दोषपूर्ण आवास व बुरा पड़ोस तथा मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत कारणों में मानसिक अस्थिरता-बच्चें की जब सामान्य इच्छाओं और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने से उनके मन में अनेक तनाव बनते हैं, वह असन्तुष्ट हो जाता है। मानसिक अस्थिरता में बच्चें को उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। मंद बुद्धि, दोषपूर्ण चरित्र, अधिक सुख की इच्छा, शारीरिक दोष, स्वच्छन्द व्यवहार व हीनता की भावना का विकसित होना अन्य कारण हैं, क्योंकि हीनता की भावना से कोई भी काम बच्चा कुशलतापूर्वक नही कर पाता। उन्हें अपने मित्रों में कोई सम्मान भी नहीं मिल पाता, जिससे बच्चे मादक द्रव्य व्यसन, जुए व साथियों से मारपीट कर बैठते है। सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों में दोषपूर्ण संगति, समाजिक नियंत्रण की कमी, इमानदारी के मूल्यों का महत्व घटता है तो बच्चों का जीवन अनियन्त्रित हो जाने से बच्चे पहले माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर, स्कूलों में अनुशासनहीनता कर, अपराधी प्रवृति के बच्चों की संगति में पड़कर अपराध करने लगते हैं। उच्च और निम्न जातीय के अमीर एवं गरीब बच्चो के बीच जातीय-विभेद भी बाल-अपराध का प्रमुख कारक है। उच्च जाति के बच्चे निम्न जातियों के बच्चों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यवहार हिंसक घटना का रूप लेते हैं। समाज में नैतिक पतन होता जा रहा है एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला भी बाल-अपराध का कारण है।

अन्य कारणों में अत्यधिक निर्धनता के कारण बच्चों को समुचित शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएँ नही मिलती। सम्पन्न घराने के बच्चों को देखकर उनमें हीनता, ग्लानि, ईर्ष्या व उद्दण्डता की भावनाएं बढ़ती है। उद्देश्यहीन शिक्षा व दोषपूर्ण सीख के कारण भी बच्चे आपराधिक मनोवृतियों में संलग्न होते हैं। जातीय दंगा की स्थिति व अन्य प्राकृतिक विपदाओं बाढ़, भूकम्प आदि में भी सामाजिक नियन्त्रण कमजोर होने से भी बच्चों में उत्तेजना व मनमाने व्यवहार करने का वातावरण निर्मित होता है और बाल-अपराधेकी दर में वृद्धि होती है।

आस-पास के पर्यावरण का प्रभाव भी बाल किशोर पर पड़ता है। जैसा वह दैनिक जीवन में देखता है, कच्ची उम्र व नासमझी में वह वैसे ही कृत्य करने के लिए मानसिक रूप से तत्पर होता है। कोमल मस्तिष्क के कारण बाल अपराधी, अपराध की गम्भीरता को समझने में असमर्थ रहता है। बाल अपराध का सुधार सहज, सरल व संभव है क्योंकि कच्चे, अपरिपक्व मस्तिष्क को किसी भी दशा में मोड़ना आसान होता है। बाल अपराध के कारणों का पता लगाना अपराध के कारणों से आसान होता है क्योकि अपराध लम्बे समय से व्यक्ति करता आता है। युवा अपराधी व्यावसायिक अपराध में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। युवा अपराधी बाल-अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं। कोहन की मान्यता है कि बाल-अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है। बाल किशोर हमेशा किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता बल्कि अज्ञानतावश वह अपराध करता है। बच्चों द्वारा हंसी-मजाक या द्वेष वश अपराध में संगठित एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। बाल अपराध ज्यादातर वैयक्तिक विघटन का सूचक है जब कि अपराध से सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

गाँवों की तुलना में बाल किशोर अपराध शहरों में अधिक होते हैं। बड़े-बड़े महानगरों मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, आगरा, बैंगलोर आदि में बाल-अपराध अधिक होते हैं। शहरों में बाल-अपराध के कई कारण हैं, जैसे- माता पिता दोनों का सर्विस में होना या बड़े-बड़े व्याववसाय में संलग्न रहने पर घर में बच्चों पर नियंत्रण रखने वाला कोई सदस्य नहीं होता, जिससे बच्चे अनियन्त्रित होकर आवारागर्दी करने लगते हैं। शहर का भीड़युक्त माहौल, गन्दी बस्तियां, अश्लील एवं अपराधी चलचित्र, अति सम्पन्नता के प्रति आक्रोश, बेरोजगाड़ी एवं नितांत गरीबी आदि बाल (किशोर) अपराध को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं।

बालिकाओं से अधिक अपराध बालक करते हैं क्योंकि भारतीय समाज में लड़कियों पर परिवार का नियंत्रण अधिक होता है। बालकों में शारीरिक शक्ति की

अधिकता, मुक्त वातावरण में रहने तथा बाहरी जीवन में सहभागिता के कारण अपराध करने की प्रवृति अधिक पायी जाती है। बाल किशोर अपराध की प्रवृति अधिक पायी जाती है। बाल किशोर अपराध करने की प्रवृति किशोरो की तुलना में किशोरियों में दुगुनी पायी जाती गयी है। पिछली शदी की तुलना में लड़कियों में बाल-अपराध की संख्या 52% बढ़ी। चोरी, शराबवृति एवं जुआ खेलने से सम्बन्धित अपराध अधिक रहे। हंसा सेठ के अध्ययन में 86.2% लड़कियाँ यौन अपराध में व्यक्तिगत अपराध बाल-अपराधी किसी गिरोह के साथ उन्हें प्रशिक्षण एवं संरक्षण दोनों ही प्रदान होते हैं। अधिकांश बाल-अपराध 14 से 16 वर्ष की आयु घटित किए जाते हैं। यह आयु स्कूल छोड़ने की होती है। बालकों में पौरुषत्व आता है जिससे उनमें साहसी प्रवृति का संचार उत्पन्न होता है तथा बालक नियन्त्रित न रहकर स्वतन्त्र रहना चाहता है। अत: इस आयु में अपराध ज्यादा घटित होते हैं। अशिक्षित बालक भी अपराध करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे बूरे का ज्ञान एवं उसके परिणामों से वे अनभिज्ञ रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारतवर्ष में पकड़े बाल अपराधियों में से 48% अशिक्षित, 34.6% प्राथमिक शिक्षा से निम्न श्रेणी के तथा 11.5% हायर सेकेन्डरी से कम शिक्षा प्राप्त थे।

उपरोक्त वर्णित अपराधों के कारणों में एक कारण व्यक्तित्व व मानसिक विकार भी है। इस कारण के निवारण के प्रयास बहुत ही कम किए गए हैं। शिक्षकों को भी इन कारणों का पूरा ज्ञान नहीं होता । अत: उसके अपराध के लिए जिम्मेदार मानसिक कारण को पहचानकर उसके इलाज के लिए पूरे प्रयास नहीं किए जाते रहे हैं जिसके कारण वह अपराधी वही अपराध बार-बार करता है। आगे कुछ मानसिक व व्यक्तित्व विकारों की चर्चा की जा रही है जो कि कई प्रकार के अपराधों के कारण बनते हैं-

मानसिक विकार :

1. मनोग्रस्त-बाध्यता प्रतिक्रियाएँ: यह विकार मनोस्नायुविकृति (Psychonearoses) का एक प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति निरन्तर अनचाहे, बेकाबू, अर्थहीन और तनाव पैदा करने वाले विचारों और कार्यों को दुहराता है, जैसे कन्धे उचकाना, आँख खोलना-बन्द करना, बार-बार हाथ धोना आदि। रोगी इन क्रियाओं को व्यर्थ एवं अतार्किक समझता है परन्तु चाह कर भी वह इन्हें रोक नहीं पाता। व्यर्थ के कार्यो को करने के बाद रोगी समझता है कि उसने कोई बड़ा कार्य कर लिया है और उसके बाद वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। आपराधिक दृष्टि से इस रोग की दो किस्में मुख्य हैं-

1. बार-बार किसी लाभ के इरादे से चोरी करना : बार-बार आग जलाना और इस प्रक्रिया में किसी की कीमती वस्तु को या सार्वजनिक सम्पति को भी जला डालना (Pyhomania)। क्लैप्टोमैनिया से ग्रस्त व्यक्ति जिस वस्तु की चोरी करते हैं वे उस वस्तु को चोरी करने के लिए अंदरूनी तौर पर प्रेरित होते हैं व पकड़े जाने पर यह नहीं बता पाते कि उन्होंने चोरी क्यों की थी। परन्तु चोरी करने के बाद वे बहुत सुकून महसूस करते हैं। इसी प्रकर पायरोमैनिया से ग्रस्त व्यक्ति तब तक बेचैनी महसूस करते रहते हैं जबतक वे किसी वस्तु को आग न लगा दें और आग लगाने के बाद वे सुकून महसूस करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इस आग से जान व माल का कितना नुकसान हो सकता है। इन विकारों के लिए किसी के अधिकार को चुनौति देने की इच्छा, दुश्मनी जाहिर करने की इच्छा, आक्रमकता, मंदबुद्धिता या दीर्घकालीन कुंठा जिम्मेदार हो सकती हैं।

2. वियोजी प्रतिक्रियाएँ (Dissociative Reactions) कभी-कभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई एक या अधिक तत्व सम्पूर्ण व्यक्तित्व संगठन से अलग हो जाता है। इससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही अव्यवस्थित हो जाता है। आपराधिक दृष्टि से इस विकार में ये रोग-बहुव्यक्तित्व तथा निद्राभ्रमण महत्वपूर्ण है। बहुव्यक्तित्व (Multiple Personality) में व्यक्तित्व के गुण दो या अधिक खण्डों में विभाजित होकर अलग-अलग समय पर परस्पर विरोध ाभासी व्यवहार प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक समय सन्त महात्मा की तरह धार्मिक, नैतिक परोपकार के कार्य करता है, अच्छे-अच्छे उपदेश देता है तथा दूसरे समय वह शैतान की तरह अनैतिक कार्य करता है। दूसरी अवस्था में वह अनैतिक यौन सम्बन्ध, मदिरापान, आवारागर्दी, क्रूरता तथा जघन्य अपराध तक कर देता है। इस रोग की विशिष्टता यह है कि जब वह नैतिक व्यवहार करता है तो उसे अपना अनैतिक व्यवहार याद नही रहता और जब वह अनैतिक व्यवहार करता है तो नैतिक व्यवहार की याद नहीं रहती।

3. मनोविदलन या असामयिक मनोभ्रंश (Schizophrenia): यह एक प्रकार की प्रकार्यात्मक मनोविकृति (Functional Psychoses) है। इस बिमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपने ही विचारों में खोया रहता है, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है और न ही उसे लोगों से मिलना-जुलना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को वह शक की निगाह से देखता है, जैसे सब लोग उसके दुश्मन हैं, उसका पीछा करते रहते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे मार डालना चाहते हैं। रोगी को अजीबोगरीब व डरावनी परछाइयां दिखाई पड़ती हैं। रोग के गंभीर होने पर रोगी हिंसक और विद्रोही हो जाते हैं, वे आत्महत्या की कोशिश कर सकते हैं या हल्का सा भी उकसावा मिलने पर दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर सकते हैं।

यह रोग मस्तिष्क की रासायनिक संरचना एवं कार्य व्यवहार में आए विशिष्ट प्रकार के बदलाव के कारण होता है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले स्नायु रसायन (Neuro-Chemicals) डोपेमाइन और सेरोटोना के स्तर में परिवर्तन की बजह से यह रोग होता है। यह रोग तनाव के कारण नहीं होता परंतु जिस व्यक्ति में अनुवांशिक तौर पर यह रोग होने की संभावना होती है उसमें तनाव के वक्त यह उभर कर बाहर आ जाता है।

4. उन्माद मनोविकृति (Manic Psychoses):

इस विकार से ग्रस्त रोगी अत्यधिक उतेजित होकर उल्लास प्रकट करता है बड़ा खुश नजर आता है। खुशी में वह नाचना, गाना तथा चिल्लाना शुरू कर देता है। बातचीत के समय दूसरों पर अधिकार जमाता है। उसकी काल्पनिक उड़ाने तीव्र हो जाती हैं। उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाने पर वह आक्रामक तथा विध्वसांत्मक कार्य करने लगता है। तोडफ़ोड़ तथा मारपीट कर वह पास के लोगों को होनि पहुंचाने लगता है।

व्यक्तित्व विकार: इसे समाजविरोधी व्यक्तित्व (Psychopathic Personality) भी कहा जाता है। व्यक्तित्व विकार व्यक्ति में परिवार, पड़ोस एवं आस-पास के वातावरण की असामान्य पृष्ठभूमि के कारण होता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं व भावनाओं को तृप्त करने के लिए जीवन में ऐसे अनुचित तरीके अपना लेता है जो सामाजिक नियमों के अनुसार नहीं होते। व्यक्तित्व विकार के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है-

1. असमाजिक: ऐसा व्यक्ति आम लोगों की तरह सामान्य बुद्धि का चालाक एवं आकर्षक होता है परन्तु वह अन्य व्यक्तियों को बिना किसी हिचकिचाहट के बराबर धोखे पर धोखे देकर केवल अपने स्वार्थो एवं सुखों की प्राप्ति में लगा रहता है। वह पहले दूसरों का विश्वास जीतता है व उसके बाद उन्हें धोखा दे देता है। ऐसा करके उसे कोई पछतावा नही होता। नैतिकता व अपराध बोध इन व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति ये वास्तविक अपनापन, सहानुभूति, सम्मान, प्रेम या हार्दिक भावनाएं नहीं रखते। उनके कायों से स्वयं उन पर व अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव की वे बिल्कुल परवाह नही करते। सजा का इनको कोई भय नहीं होता और सजा मिलने के बावजूद ये उससे कोई सबक नहीं लेते और बार-बार असामाजिक कार्य करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति चोरियां करते है, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं तथा कई प्रकार के अन्य सफेदपोश अपराध करते हैं। अधिकतर आदतन अपराध ी भी इसी वर्ग में आते हैं क्योकि इनका उद्देश्य केवल अपनी स्वार्थपूर्ति करना होता है।

इस प्रकार की असामाजिकता का कारण बालपन में परिवार या समाज द्वारा इनके साथ किया गया अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। माता-पिता से पूरा प्यार-लगाव न मिलना, ठीक प्रकार से देखभाल न होना, हालात के अनुसार जायज इच्छाओं की भी पूर्ति न किया जाना या लम्बे समय तक समाज द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना या दुत्कारा जाना आदि प्रमुख कारण हैं। इन कारणों की वजह से ये समाज के प्रति नफरत व बदले की भावना से भी भर जाते हैं व इस भावना का असमाजिक कार्य करके तृप्ति महसूस करते हैं। इसके उपचार के लिए इन्हें किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक सलाहकार द्वारा परामर्श व मार्गनिर्देशन दिया जाना जरूरी है। मनोविश्लेषण विधि से भी इनका उपचार किया जा सकता है।

2. लैंगिक विचलन: इस विकार में व्यक्ति यौन संबंधि संतुष्टी प्राप्त करने के लिए ऐसे तरीके अपनाता है जो कि समाज द्वारा अनुचित, अनैतिक व अमान्य माने जाते है। लैंगिक विचलन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। कई नेताओं, उच्चाधिकारियों व पुलिसकर्मियों में भी ऐसे विकार देखे गये हैं। हाल ही में पंजाब व हरियाणा के कुछ उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी ऐसे विचलन के कारण सुर्खियों में रहे हैं।

मद्यपान व्यसनः समाज में अपने इर्द-गिर्द के परिवेश में हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी खास उत्सव या खुशी के मौके पर कभी-कभी शराब आदि पीकर मनोरंजन कर लेते हैं। जिन्हें Casual OR Social Drinker कहा जाता है। बालक अपने इर्द-गिर्द के परिवेश से उपरोक्त आदतों को सिखाता है और समाज एवं विद्यालय में अनैतिक कार्य करने लगता है।

बाल अपराध रोकथाम में शिक्षक की भूमिका :

1. शिक्षक प्रवीक्षण विधि का उपयोग कर बाल अपराध में सुधार कर सकते है। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक प्रवृतियों तथा उसकी परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करके कभी उसे दण्ड का भय दिखाकर और कभी नरमी से समझाकर तथा उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को यथासम्भव पूरा करने की कोशिश करते हुए अपराधी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है।
2. शिक्षक अपराधियों के जीवनवृत को जानकर उनके मनोवैज्ञानिक उपचार का प्रबन्ध करके उसका सुधार कर सकते हैं।
3. क्रीड़ा चिकित्सा का प्रयोग करके बाल अपराधी को सुधार सकते हैं।
4. शिक्षक बाल अपराधियों से अंगुली चित्रण विधि का प्रयोग कर उसमें सुधार ला सकते है।
5. बालक को अभिनय करने की आदत डालकर उसके अपराधी प्रवृति में सुधार ला सकते हैं।
6. छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देकर सुधार कर सकते हैं।
7. पारिवारिक वातावरण में सुधार के लिए अपराधी के माता-पिता/अभिभावकों को सुझाव देना चाहिए।
8. शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना चाहिए।
9. विद्यार्थी को धार्मिक उपदेश देना चाहिए।
10. विद्यार्थी को रचनात्मक कार्य करने का मौका देना चाहिए।
11. विद्यार्थी को शैक्षिक यात्राओं पर ले जाना चाहिए।
12. उन्हें शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए।
13. उन्हें यौन शिक्षा दी जानी चाहिए।
14. उनके लिए स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना चाहिए।
15. उन्हें ऋणात्मक संवेगों के शोधन के अवसर प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्षः

मानसिक व व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त विद्यार्थियों को पहचानकर उनका उचित मानसिक इलाज विद्यालय में ही किया जाए तो अपराध प्रत्यावर्तिता यानि बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। साथ ही ऐसे विकृति विद्यार्थियों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है। ऐसे विकृत विद्यार्थियों के व्यवहार के कारण कई बार समाज के अन्य व्यक्ति इनके प्रति या किसी अन्य के प्रति कोई अपराध करने को विवश हो जाते हैं। विकृति विद्यार्थियों के मानसिक इलाज से ऐसी संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार अपराधी से समाज को होनेवाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थायी तौर पर मनोचिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के पद सृजित करके उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. आक्रामक होते बच्चे : हिन्दुस्तान 11-02-2012
2. एवनोरमल साइकोलोजी - डा0 वात्सयायनः केदारनाथ राम, नई दिल्ली।
3. दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 21.09.1999, 05.12.2000, 29.12.2000, 27.02.2001
4. धैर्य खोते बच्चे : प्रभात खबर, 15.10.2011
5. नगरीय समाजशास्त्र : आनन्द प्रकाश सिंह : युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली -2011
6. मनोविज्ञान परिभाषा कोश - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7. व्यावहारिक मनोविज्ञान-डॉ0 रामपाल सिंह वर्मा, प्रो0 सत्यदेव सिंह, डॉ0 देवदत्त शर्मा; विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
8. विद्यालय पाठ्यचर्या में कला, शिल्प एवं व्यावसायिक शिक्षा- डॉ0 शम्भु प्रसाद एवं कुमारी सरिता, आइडियल रिसर्च रिव्यू-अंक29,सं01-पृ0-80-83, वर्ष-मार्च-2011
9. सामाजिक समस्याएँ और अपराधः आन्नद प्रकाश सिंह एवं वैशाली प्रसाद, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली- 2011